

राज्य खेल प्रतियोगिता में बालिकाएं चयनित



निवाली। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संभाग स्तरीय व्हॉलीबाल क्रिड़ा प्रतियोगिता 29 से 30 अगस्त तक मंडलेश्वर में आयोजित की गई। जिसमें शा कन्या खेल परिसर निवाली की 4 छात्राओं का 14 वर्ष में शीतल चिंताराम, भारती गुमान, हिरली सुरेश और यशोदा शांतिलाल का चयन विभागीय राज्य क्रिड़ा प्रतियोगिता में हुआ है। प्रतियोगिता 6 सितम्बर को नर्मदापुरम में होगी। छात्राओं का चयन होने पर सहायक आयुक्त जेएस डामोर, जिला क्रिड़ा अधिकारी मुकेश मालवीय, संस्था प्राचार्य पीसी शर्मा एवं समस्त स्टॉफ ने बधाई दी। छात्राओं का चयन विभाग शिक्षक संजय चौधरी एवं खेल शिक्षिका सरस्वती ठाकुर के मार्गदर्शन में हुआ है।

भड़काऊ गतिविधियों पर रोक एवं सख्त निगरानी

बड़वानी। जिले में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एसपी जगदीश डावर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आगामी 2 माह के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश 2 माह तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करता है और सभी से शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपील करता है।

71 सालों की सेवा यात्रा को मिली नई पहचान

शिक्षा प्रसारक समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ शिक्षक सम्मान समारोह

संधवा, (नवभारत)। शिक्षा प्रसारक समिति के तत्वावधान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शक्तिसिंह परमार ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहींए बल्कि संस्कार और नवाचार का संगम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा ने नई चुनौतियां पैदा कीएं लेकिन अब समय है कि बच्चों को मोबाइल से दूर कर भारतीय संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा की ओर लौटाया जाए।

प्रेरणादायक विचार और सम्मानित शिक्षक



विशिष्ट अतिथि डॉ. नीलमेघ चतुर्वेदी ने छात्रों को अब्दुल कलाम, केआर नारायण और पीए संगमा के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम में संगीता त्रिवेदी, सीमा पालीवाल, प्रीति गुप्ता, ईंदिरा मालवीया, मुजफ्फर अली, दीपक बहादुर, सीमा यादव, अरुण पाण्डे, संदीप पंवार, त्रिभुवन ठाकुर सहित कई शिक्षकों को

प्राथमिक विद्यालय की स्थिति खस्ता

छत से टपकता है पानी, फिर भी जारी है पढ़ाई, शिक्षक और बच्चें पढ़ाई से पहले करते हैं फर्श से पानी साफ



पानसेमल, (नवभारत)। विकासखंड के सरकारी खर्द में शासकीय प्राथमिक विद्यालय

वायरल हो रहे हैं। सकराली खुर्द करीब 20 से 25 साल पुराना शाप्रावि भवन जिसकी हालत इतनी

जर्जर हो चुका है, जो अब बच्चों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। स्कूल टीचर ने बताया कि वे बारिश के दौरान विद्यालय लगने के पहले पानी निकालते हैं। छत से लगातार पानी टपकने से कितारें भी भीग जाती हैं, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। कई बार आवेदन दिया, सर्वे भी हुआ, लेकिन हालात जस के तस हैं। मरम्मत के नाम पर सालभर में जो राशि मिलती है उसमें सिर्फ दीवारों की पुताई हो सकती है, छत को मरम्मत नहीं। स्कूल में लगभग 25 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीणों की मानें तो बीते दिनों राजस्थान में हुए स्कूल हादसे के बाद यहां के माता-पिता डरे हुए हैं, लेकिन मजबूरी में बच्चों को इसी खतरनाक भवन में बैठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि

बीआरसी ने दिए निर्देश

बीआरसी ने कहा अन्य भवन में शाला लगाने दिए है

निर्देश। शिक्षक ने कहा बच्चों को

भाजपा कार्यालय में हुआ सम्मान समारोह

बड़वानी,। मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्ध-घुमकड़ समाज के प्रमुख समाजजनों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भव्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर जिलेभर से बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। 50 होनहार विद्यार्थियों को भारत माता शील्ड तथा 50 प्रमुख समाजजनों को शाल एवं टुपट्टे से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में

भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ सुरेशसिंह सिंह सोलंकी, विक्रम चौहान, राजेन्द्र भावसार, भगीरथ कुशवाहा, भगवती प्रसाद शिंदे सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता, अतिथि एवं समाज प्रमुख हकुम पवार, योगेश राठौड़, करण चौहान, संजय राठौड़, रामचंद्र राठौड़, ताराचंद नायक, मानसिंग राठौड़, रंजीत नायक, दिलप राठौड़, दिनेश जाधव, ईश्वर पवार, भगीरथ जाधव आदि उपस्थित थे।



एक नजर में

महिला और पुरुषों ने लगाए बाबा के जयकारे, भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे श्रद्धालु

डोल ग्यारस पर नगर में निकाला चल समारोह



नवभारत न्यूज़

निवाली 05 सितम्बर.

नगर में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी डोल ग्यारस के पावन अवसर पर बाबा श्री श्याम का चल समारोह निकाला गया। जो पुलिस थाना खेतिरिया रोड से होते हुए मुख्य मार्गों से होकर मंदिर

चौक पहुंचा। इस चल समारोह में बाबा का विशेष श्रृंगार फूल-मालाओं से किया गया। वहीं बग्गी के ऊपर बाबा श्री श्याम का शीश व लड्डू गोपाल को विराजित कर आकर्षक श्रृंगार किया। जिसमें महिला एवं पुरुष निशान लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए चले रहे थे। वहीं श्रद्धालु भजनों पर थिरकते नजर आए। साथ ही जगह-जगह इस चल समारोह का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया।

श्याम बाबा के चल समारोह में चल रहे लोगों को जल पिलाया गया। इस अवसर पर महा

मनोकामनाश्वर मित्र मंडल खेतिया रोड, श्री साई मित्र मंडल डाक बंगला, बजरंग दल बस स्टैंड और श्री साक्षात मित्र मंडल संधवा रोड सहित नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया गया। वहीं बस स्टैंड पर बाबा श्री श्याम का आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। चल समारोह में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष श्याम प्रेमी मौजूद रहे।

वितरित की प्रसादी

चौक में आरती कर प्रसादी वितरित की गई। साथ ही इस चल समारोह में पुलिस थाना एवं नगर परिषद की टीम ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्था को सुचारु करती रही।

एक नजर में

मंदिरों से निकले श्री राधा कृष्ण के डोल



महू. झमाझम बरसात के बीच बुधवार को डोल ग्यारस पर्व के मौके पर भगवान श्री गणेश भगवान विसर्जन के लिए निकले, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण भी डोल में सवार होकर गौशाला लट पड़ने, यहां भगवान को आरती कर डोल को वापस मंदिर तक लौटाया गया, जिसके बाद जगह-जगह प्रसादी वितरित की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में डोल के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर आए. बारिश के बावजूद भी डोल ग्यारस पर्व पर शहर में काफी उत्साह का माहौल है। महू.क्षेत्र में इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है. सुबह से ही लोग गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तैयारियां कर रहे थे और दोपहर से गणेश मूर्तियां लेकर विसर्जन के लिए निकलने को तैयार थे. लेकिन लगातार तेज बारिश ने भी लोगों के उत्साह को मायूस नहीं होने दिया। देर शाम जैसे ही बारिश थमी तो शहर के आसपास के तालाबों और नदियों पर लोगों का सेलाब उमड़ा. इसकी प्रशासन ने व्यवस्था की. काकड़पुरा तालाब और गौशाला घाट के पास नगर परिषद के लोग भी मौजूद रहे। हालांकि यहां पीओपी की मूर्तियों को भी विसर्जित किया गया, लेकिन नगर परिषद के कुछ कर्मचिइन्हें निकालकर वापस ट्राली में रख रहे थे। इन्हें बाद में व्यवस्थित तरीके से विसर्जित किया गया।

ठाकुर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष

महू. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर इन्दौर जिले में अपनी मजबूत पैठ जमाने वाले युवाओं, किसानों की बुलंद आवाज जीतू ठाकुर पूर्वी जिला पंचायत सदस्य को किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इनकी नियुक्ति पर राऊ, महू. साँवर एवं देपालपुर विधानसभा के कांग्रेसजनों ने पुष्पा माला पहनकर फोन एवं सोशल मीडिया के मध्यम से हर्ष व्यक्त कर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की.

जिला अध्यक्ष बनने पर ठाकुर का स्वागत



महू. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितु पटवारी द्वारा किसान कांग्रेस में इंदौर ग्रामीण अध्यक्ष पद पर जितु ठाकुर को नियुक्त किया गया. इसके बाद हासलपुर में नवनियुक्त जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जितु ठाकुर का स्वागत किया गया. इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल ठाकुर, गोविंद टेलर, धर्मेन्द्र सिंह चौहान, विष्णु मुलवंद यादव, रविशंकर मीणा, पंकज मीणा, भगवान सिंह ठाकुर, लखन सिंह देरबार आदी ने तिलक लगा कर स्वागत किया गया.

महू गुरु द्रोण अवार्ड कल

महू. शिक्षक दिवस के अवसर पर 101 वरिष्ठ गुरुओं का सम्मान किया जाएगा. सामाजिक विचार मंच, रोटेरी क्लब, भूतपूर्व सैनिक संगठन, रोटेरी क्लब ऑफ महू कैंट और इनरसील क्लब के द्वारा पांच सितम्बर को महू गुरु द्रोण अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है.

अनवर आठ सितंबर तक पुलिस रिमांड पर

- फाइनैशियल सोर्स और नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
- नेपाल कनवेशन और टूटे मोबाइल की पड़ताल, कादरी से पूछताछ जारी

नव भारत न्यूज़
इंदौर. लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी अनवर कादरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. अदालत ने उसका रिमांड बढ़ाकर आठ सितंबर तक कर दिया है, यानी अब पांच दिन और वह पुलिस



चलती कार में लगी आग, कारोबारी की बाल-बाल बची जान
इंदौर .शहर के व्यस्त कनवेटोरे चौराहे पर एक बड़ा हादसा टल गया. घर लौट रहे कारोबारी की कार अचानक धुआं छोड़ने लगी और देखते ही देखते आग की लपेटों में गिर गई. गमीतल रही कि कालक समय रहते कुछ गया और उसकी जान बच गई.

तालागम नगर निवासी कारोबारी मंगेश अग्रवाल अपनी कार से घर जा रहे थे. चौराहे के पास गाड़ी से धुआं उठने लगी तो उन्होंने तुरंत कार रोक दी और बाहर निकल आए, तभी इंजन में आग भड़क गई. आसपास मौजूद लोगों ने धुआं झांकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें और फैल गईं. सूचना पर पहुंचे फायरकर्मियों ने केमिकल से आग पर काबू पाया. घटना के चलते चौराहे पर कुछ देर के लिए अग्रवाल-तफरी मंच नाई थी, मामले में पुलिस जांच कर रही है.

हिरासत में रहेगा. इस दौरान जांच एजेंसियां उसके फाइनैशियल सोर्स, नेटवर्क और फंडिंग चैनल की गहराई से पड़ताल करेंगी. पुलिस की पूछताछ में अब तक सामने आया है कि कादरी फरारी के दौरान नेपाल भाग गया था. वहां वह काठमांडू के एक होटल में रुका, जिसका भुगतान उसकी बेटी आयशा ने ऑनलाइन किया. इसी दौरान उसकी पत्नी भी दो बार नेपाल जाकर उससे मिली. जांच में खुलासा हुआ कि कादरी के पास दो मोबाइल थे,

युवक ने फांसी लगाई, पुलिस जांच जारी

इंदौर. पारिवारिक विवाद और बेरोजगारी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. मामले में पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है. घटना तुकोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 40 वर्षीय नरेश पुत्र लालचंद शांन्यवार ने रात घर में फांसी लगा ली, नरेश पेशे से पेंटर था. देर रात मां ने उसे फंदे पर लटका देखा और तुरंत परिजनों व पड़ोसियों को सूचना दी. परिजन उसे एमबाय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बचाया नहीं जा सका. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: के आरएम टॉवर, 8वां तल, हेस्टिंगन रोड, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तिियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हिट प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और/अनिश्चित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर अपने ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित विधियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	577112095	संपत्ति के बदले ऋण	08.08.2025	4,64,511.93/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. सुनील गुर्जर 2. टीना सुनील
संपत्ति का पता: एक मजिला आरसीसी निर्मित मकान का वह पूरा टुकड़ा पंचायत अभिलेखों के अनुसार, यह मकान संख्या 93 (तिरानने) के अंतर्गत, ग्राम मालाखेड़ी, तहसील खाखोद, जिला उज्जैन में स्थित है। मकान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर 25 (पच्चीस) फीट और दक्षिण से उत्तर की ओर 36 (छत्तीस) फीट है, जिससे कुल क्षेत्रफल 900 (नौ सौ) वर्ग फीट है। 183.64 (तिरानी दशमलव छह चार) वर्ग मीटर, और, इस प्रकार चिरा हुआ: पूर्व: जाली जगह, पश्चिम: सार्वजनिक सड़क, उत्तर: मदनलाल का घर, दक्षिण: कमल सिंह का घर

आपको उपरोक्त तालिका में उल्लिखित व्यवहार के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित विधियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफआईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्वामान्तरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

दिनांक: 05.09.2025
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

CAPRI GLOBAL

HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कांपोर्ट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पोरल, मुंबई-400013, सकल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्ति्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हिट का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हिट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अयोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्ति्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हिट का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हिट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)।" को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियों, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अवधियों हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) NMESHA000120195 (पुराना) 80300005850778 (नया) LNME50173LX30000534, (पुराना) 80300007791139, (नया) (शामादू शाखा) श्री वरत कुमार चौधरी (उधारकर्ता) श्रीमती ममता बाई (सह- धारकर्ता)	12.08.2025 र. 32,39,437/- (12.08.2025 तक)	संपत्ति संख्या 1: भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा जो संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, सर्वे संख्या 254/2 थी, पटवारी हल्का संख्या 03, बाई संख्या 03, ग्राम घुघाखेड़ी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458775 पर स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार है: उत्तर: घुघाखेड़ी मालती रोड, दक्षिण: सर्वे की रोड भूमि। पूर्व: जीवन पाई पाटवारी की भूमि, पश्चिम: सुधा चौधरी की भूमि। संपत्ति संख्या 2: भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा जो संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 630 वर्ग फुट है, सर्वे संख्या 2 पर स्थित है। 254/2-मिनट-1/ मिनट-1, पटवारी हल्का नंबर 22, बाई नंबर 03, ग्राम घुघाखेड़ी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 458775, सीमा इस प्रकार है: उत्तर: बिक्रता का घर, दक्षिण: गढ़ी गदर, पूर्व: कारुलाल जी पाटीदार की भूमि, पश्चिम: मेरुलाल का प्लॉट।
2.	(ऋण खाता संख्या) LNMEINR000082085 (पुराना) 80300005772597 (पुराना) LNMEINR000104581 (पुराना) 80300005776722 (नया) (इंदौर शाखा) श्री दुर्गार सिंह (उधारकर्ता) श्रीमती सुनीता चौहान (सह-उधारकर्ता)	11.08.2025 र. 32,54,157/- (02.08.2025 तक)	सर्वे नंबर 221/1, पी.च.क्रमांक 58, की भूमि के सघी टुकड़े और पारसल सीरियल नंबर 02, ग्राम मुहाडिलाल, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456337, माप क्षेत्रफल = 0.20 हेक्टेयर। सीमा: पूर्व में: राम सिंह गिरिवर सिंह की संपत्ति, पश्चिम में: मनोहर सिंह राजगुप्त की संपत्ति, उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: राम सिंह - गिरिवर सिंह की संपत्ति
3.	(ऋण खाता संख्या) LNME50161LX30001958 (पुराना) 804000015621914 (नया) (खातागंव शाखा) श्री गंभीर सुतार (उधारकर्ता) श्रीमती भूरी बाई (सह-उधारकर्ता)	14.08.2025 र. 20,34,872/- (02.08.2025 तक)	बाई क्रमांक 1 में स्थित मकान सहित भूमि और भवन का पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 4320 वर्ग फुट। पीपच क्रमांक 29, ग्राम देवला, तहसील खाखोद, जिला - देवास, मध्य प्रदेश - 455336। सीमा: पूर्व में: सरकारी रस्ता, पश्चिम में: राजेंद्र की जमीन, उत्तर में: रामकिशोर गोदार का मकान, दक्षिण में: कमल किशोर चौबे का मकान
4.	(ऋण खाता संख्या) LNMEINR000122095 (पुराना) 80300005750597 (नया) LNMEINR000165365 (पुराना) 80300005758711 (नया) (इंदौर शाखा) श्री लखन मीणा (उधारकर्ता) श्रीमती माया बाई (सह-उधारकर्ता)	07.08.2025 र. 26,05,362/- (02.08.2025 तक)	आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसमें मकान क्रमांक 92 सहित भूमि और भवन शामिल हैं, क्षेत्रफल 1625 वर्ग फुट। गौन- धूरिया, उल्लिस चौकी क्रमांक 07, तहसील कनौद, जिला-देवास, मध्य प्रदेश 455332। सीमा: पूर्व में कनवारी चौबे का घर, पश्चिम में कमल मीणा की जमीन, उत्तर में: राजेंद्र की जमीन, उत्तर में: रामकिशोर गोदार का मकान, दक्षिण में: कमल किशोर चौबे का मकान
5.	(ऋण खाता संख्या) LNMEINR000102811 (पुराना) 803000055661317 (नया) (इंदौर शाखा) श्री संजय अंबिया (उधारकर्ता) श्रीमती, वंदना बाई, श्रीमती माया बाई, श्री भैयालाल पुनू रामेश्वर, श्री कैलाश पुनू नारायण (सह-उधारकर्ता)	07.08.2025 र. 33,66,744/- (06.08.2025 तक)	संपत्ति क्रमांक 1: भूखंड क्रमांक 150 पर स्थित मकान सहित पूरी जमीन और भवन, जिसका क्षेत्रफल 3528 वर्ग फुट है, पटवारी हल्का क्रमांक 50, ग्राम धरगांव, तहसील सनावद, जिला खरगोन, पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश 451111। सीमा: पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में सरकारी स्कूल, उत्तर में कड़वाजी का घर, दक्षिण में कैथालाल का घर। संपत्ति क्रमांक 2: भूखंड क्रमांक 151 पर स्थित मकान सहित पूरी जमीन और भवन, जिसका क्षेत्रफल 1764 वर्ग फुट है, पटवारी हल्का क्रमांक 50, ग्राम धरगांव, तहसील सनावद, जिला खरगोन, पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश-451111। सीमा: पूर्व में सार्वजनिक सड़क, पश्चिम में सरकारी स्कूल, उत्तर में संजय का मकान, दक्षिण में शेष निजी भूमि।
6.	(ऋण खाता संख्या) LNMERT1000144076 (पुराना) 80900005799421 (नया) (रतलाम शाखा) श्री विजय तुलसानी (उधारकर्ता), श्रीमती निराला तुलसानी, श्रीमती सावित्री तुलसानी (सह-उधारकर्ता)	07.08.2025 र. 26,29,258/- (06.08.2025 तक)	भूमि और भवन का पूरा टुकड़ा, मकान संख्या 386, जवाहरा नगर, मुख्य सड़क, नागव, जैन कॉलोनी, बाई संख्या 12, नागव, मध्य प्रदेश 456335। सीमा: खसरा संख्या 170/71, 171/7, 172/7, पूर्व में बिक्रता की संपत्ति, पश्चिम में आरएस दुबे की संपत्ति, उत्तर में महंगू की संपत्ति, दक्षिण में सड़क।

यदि उक्त उधारकर्ताओं सीजीसीएल को पूर्वीक भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उधार परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उत्तरदाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थान: इंदौर
दिनांक: 05/09/2025
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए